प्रेस नोट
जनपद-संतकबीरनगर
दिनांक-25.10.2026

कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की बड़ी कार्यवाही, हत्या की घटना में संलिप्त 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व में गिरफ्तार 08 अभियुक्तों सहित अब तक कुल 09 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर आलाकत्ल 01 अदद डण्डा बरामद

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री जयप्रकाश दुबे के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 890/2026 धारा 103(1), 3(5), 191(2), 191(3), 190, 61(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता बृजेश यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव निवासी भगठान (गोसाईपुर) थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 25.10.2026 को भुवरिया रोड पायलपार गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर आलाकत्ल 01 अदद डण्डा बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 22.09.2026 को वादी रमाकान्त यादव पुत्र दयाराम यादव निवासी भकठान गोसाईपुर, थाना कोतवाली खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके भाई ब्रह्मनन्द यादव दिनांक 22.09.2026 को घर से गिठनी बाजार जा रहे थे। जैसे ही वह राकेश यादव के घर के सामने पहुँचे, अभियुक्तगण द्वारा पूर्व नियोजित तरीके से उनकी बुलेट मोटरसाइकिल को रोककर उनकी आँखों में पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी गई, जिससे वह गिर गए। इसके बाद अभियुक्तगण द्वारा लाठी-डण्डा एवं धारदार हथियार से उनके साथ मारपीट की गई। शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुँचे तो ब्रह्मनन्द यादव गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले। मौके पर मौजूद लोगों द्वारा 112 नम्बर पर सूचना देकर उन्हें जिला अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ चिकित्सक द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

बृजेश यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव निवासी भगठान (गोसाईपुर) थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी विवरण- अभियुक्त की निशानदेही पर 01 अदद डण्डा बरामद।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मेरे गाँव के रमाकान्त यादव प्रधान हैं। प्रधान रमाकान्त यादव, उनके भाई ब्रह्मनन्द यादव एवं श्रीकान्त यादव द्वारा प्रधान बनने के बाद से हमें बार-बार जान से मारने की धमकी दी जाती थी तथा परेशान किया जाता था। पूर्व में दिनांक 18.05.2026 को ब्रह्मनन्द यादव द्वारा अपने बाहरी लोगों एवं परिजनों के साथ हमारे साथ मारपीट की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इसी रंजिश के कारण मै व परिवार के लोग एक साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से ब्रह्मनन्द यादव को रास्ते से हटाने तथा आगामी प्रधानी चुनाव में रमाकान्त यादव को हराने की योजना बनाए। दिनांक 22.09.2026 को ब्रह्मनन्द यादव को बुलेट से आते देखकर मैं व मेरे परिवार के लोगो द्वारा उनकी आँखों में लाल मिर्च पाउडर डाल दिया गया, जिससे वह गिर गए। इसके बाद मह लोग लाठी-डण्डों से ब्रह्मनन्द यादव के साथ मारपीट की गई तथा राकेश यादव द्वारा अपने घर में रखी लोहे की गैंती से उनके सिर एवं अन्य स्थानों पर वार किया गया। गंभीर चोट लगने के कारण ब्रह्मनन्द यादव जमीन पर गिर गए। हम लोगो को विश्वास हो गया कि ब्रह्मनन्द यादव की मृत्यु हो गई है। इसके बाद हम अपने घर के पास लाठी-डण्डे लेकर खड़े रहे तथा पुलिस के डर से लुक-छिपकर रह रहे थे, हमें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- प्रभारी निरीक्षक श्री जय प्रकाश दूबे, उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, हे0का0 मोहन कुमार, का0 अरूण कुमार, का0 प्रशान्त विक्रम सिंह, का0 भूपेन्द्र प्रताप सिंह, का0 सुभम तिवारी, म0का0 खुशी, म0का0 अंजूलता देवी।

नोट: उक्त प्रकरण में पूर्व में 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जिला कारागार में निरुद्ध किया जा चुका है। आज 01 अभियुक्त की गिरफ्तारी के साथ ही प्रकरण में अब तक कुल 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनांक – 25.10.2026

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में दबिश के दौरान 13 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **संदीप कुमार मीना** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में
थाना महुली पुलिस द्वारा 08 नफर वारण्टी नाम पता 01. सीतोष्ण गुप्ता पुत्र सुरेन्द्र गुप्ता निवासी वार्ड नं0 09 हरिहरपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर 02. दयाराम पुत्र रामकृपाल निवासी मझगाँवा नगर पंचायत हरिहरपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर 03. चन्द्रभूषण तिवारी पुत्र छेदी तिवारी निवासी कर्री थाना महुली जनपद संतकबीर नगर 04. रामजतन पुत्र रामसुचित निवासी चबरिया कालीजगदीशपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर 05. दिनेश चन्द्र पुत्र जनकधारी निवासी ग्राम पोस्ट कालीजगदीशपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर 06. मोहित साहनी पुत्र तीरथ साहनी निवासी महुली थाना महुली जनपद संतकबीर नगर 07. सुधारे पुत्र कुमार निवासी डहरौली थाना महुली जनपद संतकबीरनगर 08. झिनक हुसैन उर्फ फिदाई हुसैन पुत्र मो0 इस्लाम निवासी महुली थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह, उ0नि0 श्री देवेन्द्र तिवारी, उ0नि0 श्री ध्रुवनरायण यादव, उ0नि0 श्री सोमनाथ मिश्रा, हे0का0 आनन्द दूबे, हे0का0 मोहन चौहान, का0 सूर्यनरायण गुप्ता, का0 ओमवीर सिंह, का0 छोटेलाल, का0 सुनील कुमार सिंह।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता शम्भूनाथ पुत्र विश्वनाथ शर्मा निवासी मु0 उत्तर पट्टी पुरवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री जयनाथ यादव, हे0का0 अशोक सिंह।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता महेबुननिशा पत्नी हराकत निवासी ग्राम सिकरी उर्फ अमहवा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री ओमप्रकाश सिंह, हे0का0 पंकज सिंह, का0 कुन्दन, महिला पीआरडी अंजली मौर्या।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 03 नफर वारण्टी नाम पता 01. उर्मिला पत्नी राजू निवासी पड़रिया थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर 02. बिन्दु पत्नी सोमई निवासी पड़रिया थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर 03. सुबाष पुत्र कल्लू निवासी महादेवा(हसनी) थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री राजेश कुमार दूबे, उ0नि0 श्री जयप्रकाश यादव, का0 रोहित कुमार, म0का0 शिवांगिनी पाठक, म0का0 संध्या यादव, रि0का0 धीरज कुमार।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 182 वाहनों से 2,40,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 25.10.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 182 वाहनों से 2,40,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।